अपील सूचना अधिकार संख्या 11/2016 अनवानी राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23–के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
11/2016

10.04.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2015 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से चाही गई कुल 8 बिन्दुओ की सूचना परेशान व हैरान करने के आश्य से उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2015 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर का पत्रांक 25088–90 जो प्रार्थी को प्रतिलिपि से प्रेषित व आपको सम्बोधित है आपके कार्यालय मे पहुंचने की दिनांक व आर/आर की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र पहुचंने से (प्राप्ति से लेकर) इस प्रार्थना पत्र का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही आज तक आप द्वारा की गयी है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
4. उपरोक्त पत्रांक में वर्णित माननीय सभांगीय आयुक्त बीकानेर के पत्रांक विविध 511 दिनांक 10.08.2015 व 761 दिनांक 24.'09.2015 एवं जिला निर्वाचन कार्यालय श्रीगंगानगर के पत्रांक 23197 दिनांक 13.08.2015 के सम्बंध मे दिये गये जवाब की सूचना व जवाब की प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. जवाब न देने के विभागीय नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि व सूचना।
6. आपके आदेश की पालना में लोकसभा चुनाव, 2014 मे सुभाष गोयल के विरूद्ध दोनो पक्षकारो के पूर्ण रूपेण बयान न लेकर जांच रिपोर्ट न देकर, आपके आदेश की अवहेलना करने पर, मलकीयत सिंह के विरूद्ध कार्यवाही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व 1951 के अन्तर्गत नही की गई है उस धारा की सूचन व प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. लोकसभा चुनाव 2014 में बीएलओ सुभाष गोयल द्वारा प्रार्थी के परिवार को मतदाता पर्चियां वितरित न कर उसके द्वारा निर्वाचन नियमों की अवहेलना की गई है तो इस बारे में नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
8. लोकसभ चुनाव, 2014 में बीएलओ सुभाष चन्द्र गोयल द्वारा मतदाता पर्चिया प्रार्थी के परिवार को वितरित न करने पर उसके विरूद्ध जिस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नही की जा रही है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 126 दिनांक 27.01.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 62 दिनांक 11.01.2016 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी। इसलिए अपील खारिज की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 62 दिनांक 11.01.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आप द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में लेख है कि:–

1. बिन्दु संख्या 1 में वर्णित पत्र इस कार्यालय की पत्र प्राप्ति पंजिका में आरआर नं.3685 दिनांक 30.09.2015 पर दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु 2 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से निर्धारित शुल्क जमा करावें।
2. शेष बिन्दु संख्या 2 से 8 के तहत चाही गई सूचना के सबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकार नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोकसूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एंव खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है। यदि आप इस सूचना से असंतुष्ट है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते है।

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर 11/2016 A3/2

लोक सूचना अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु सं0 1 की सूचना के लिए 2 रूपये प्रति पृष्ट की दर से निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए लिखा गया है जो अपीलार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सूचना प्राप्त करनी चाहिए। शेष बिन्दु सं0 2 से 8 तक की चाही गई सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है एवं प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान की जा सकती है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 11.01.2016 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण कर उसमें से कोई सूचना लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 10.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर

श्रीगंगानगर